न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः–श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्याः–28 / 2012

अपीलार्थीः– गोरधनराम पुत्र श्री पेमाराम जाति जाट निवासी उम्मेदनगर, तहसील तिंवरी जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्सः–

1. राजुराम पुत्र श्री पेमाराम
2. बाबुराम पुत्र श्री पेमाराम
   जाति जाट निवासी उम्मेदनगर
   तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।
3. रमेश पुत्र श्री पुखाराम
4. दिनेश पुत्र श्री पुखाराम
   नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता समुदेवी पत्नी श्री पुखाराम, जाति जाट निवासी उम्मेदनगर, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।
5. ग्राम पंचायत उम्मेदनगर जरिये सरपंच।

उपस्थित –

अपीलान्ट्स – अधिवक्ता श्री बंशीलाल कच्छावाह।

रेस्पोडेन्ट्स–अनुपस्थित।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 2388 जो ग्राम पंचायत उम्मेदनगर द्वारा दिनांक 05.09.2012 को स्वीकार किया गया था।

–::निर्णय::–

दिनांकः– 26.11.2019

अपीलान्ट ने [illegible] नगर तहसील तिंवरी द्वारा स्वीकृत नाम[illegible] दिनांक 05.09.2012 के विरूद्ध अन्तर्गत ध[illegible]यम के तहत प्रस्तुत [illegible] बहस सुनी गई विद्वान वकील अपीला[illegible]ने प्रकरण के तथ्यों एवं [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:55:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner

मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया है कि ग्राम उम्मेदनगर तहसील तिंवरी के खसरा नम्बर 257 रकबा 19 बिस्वा गै.मु. सारण, खसरा नम्बर 258 रकबा 02 बिस्वा गै.मु. बेरा व खसरा नम्बर 259 रकबा 64 बीघा 01 बिस्वा में अपीलान्ट के पिता पेमाराम पुत्र श्री गिरधारीराम का 1/2 हिस्सा था। उक्त भूमि पैतृक पुश्तेनी थी। श्री पेमाराम पुत्र श्री गिरधारीराम द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त पैतृक व पुश्तैनी भूमि का वसीयत नामा रेस्पाडेन्ट संख्या 1 से 4 के हक में निष्पादित किया गया था। श्री पेमाराम के देहान्त के बाद उक्त वसीयत नामा के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 2388 भरा गया जो दिनांक 05.09.2012 को ग्राम पंचायत उम्मेदनगर द्वारा स्वीकृत होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 का नाम जरिये म्यूटेशन संख्या 2388 के जरिये खातेदारी दर्ज की गई थी। स्व. पेमाराम जी के वारिसान में उनके स्वर्गवास के समय उनके तीन पुत्र व तीन पुत्रियां थी। विवादग्रस्त भूमि पैतृक पुश्तैनी होने से इन सभी को उक्त अराजी में जन्म से अधिकार अर्जित हो चुके है अपीलार्थी स्व. पेमाराम जी के उतराधिकारी की हैसियत से आज दिन भी विवादग्रस्त भूमि पर काबिज है। ग्राम पंचायत उम्मेदनगर ने केवल वसीयतनामा को पंजीकृत होने के आधार पर उसे साबित होना मान लिया था जबकि वसीयतनामा में साख डालने वाले बताये गये है उन्हें परीक्षित किये बिना साबित होना नहीं माना जा सकता। ग्राम पंचायत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर भी नही दिया गया। इन आधारों पर अपील स्वीकार की जावें एवं ग्राम पंचायत उम्मेदनगर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2388 को निरस्त किया जावें। रेस्पोडेन्ट की तरफ से कोई आज हाजिर नहीं हुए।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि ग्राम उम्मेदनगर तहसील तिंवरी के खसरा नम्बर 257, 258, 259 भूमि अपीलार्थी के पिता पेमाराम को गिरधारीराम के फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 394 के जरिये उतराधिकार में प्राप्त हुई थी। फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 394 की सत्य प्रतिलिपि पत्रावली में अपील के साथ पेश की हुई है। जिसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:55:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर, प्राधिकृत

Scanned by CamScanner

अवलोकन से यह साबित होता है कि विवादग्रस्त भूमि अपीलार्थी की पैतृक व पुश्तैनी भूमि है। जिसका वसीयतनामा निष्पादित नहीं किया जा सकता है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है एवं ग्राम पंचायत उम्मेदनगर द्वारा दिनांक 05.09.2012 को स्वीकृत किया गया नामान्तरकरण संख्या 2388 को आपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार तिंवरी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है पूर्व खातेदार पेमाराम के विधिक उतराधिकारियों की जांच कर अपीलान्ट गोरधनराम व अन्य उतराधिकारियों के नाम से नये सिरे से नामान्तरकरण दर्ज किया जावें तथा इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अमल दरामद किया हावें। पालना बाबत् तहसीलदार तिंवरी को पत्र जारी हो।

सहायक कलेक्टर, ओसियां
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 26.11.2019 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर, ओसियां
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:55:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner